अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
(1.4.2013 से प्रभावी)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

वि-ाय-सूची

क्रम सं.	मद	पृ-ठ सं.
1.	पृ-ठभूमि	1
2.	उद्देश्य	1
3.	योजना का क्षेत्र	1
4.	पात्रता	1
5.	वितरण	1-2
6.	छात्राओं के लिए निर्धारण	2
7.	चयन प्रक्रिया	2
8.	अवधि	2
9.	छात्रवृत्ति की दर	2
10.	कार्यान्वयन अभिकरणें	3
11.	छात्रवृत्ति के लिए शर्तें	3-4
12.	प्रशासनिक व्यय	4-5
13.	छात्रवृत्ति का नवीकरण	5
14.	योजना की घो-ाणा	5
15.	आवेदन प्रक्रिया	5
16.	वित्तीय सहायता का प्रतिमान	6
17.	निगरानी और पारदर्शिता	6
18.	मूल्यांकन	6
19.	आवेदन का प्रारूप	7-12
20.	माता-पिता/संरक्षक की आय की घो-ाणा पत्र	13
21.	सहायता अनुदान जारी करने का प्रपत्र	14-15
22.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रारूप	16
23.	छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सिफारिश किए गए छात्रों के ब्यौरे देने वाला प्रारूप	17-18
24.	जांच सूची	19

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' की केन्द्र प्रायोजित योजना

1. पृ-ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम जून, 2006 में घोनित किया गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान है।

2. उद्देश्य

मैट्रिक-पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे अपने स्कूल जाने लायक बच्चों को स्कूल भेंजे और अपने शिक्षा के संबंधित वित्तीय बोझ को कम करें और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा को पूरा करने में उनके प्रयासों में सहयोग करें। इस योजना से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के आधार का निर्माण होगा और रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भूमिका भी तैयार होगी। इस योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण है, जिसमें इस बात की सम्भावना विद्यमान है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

3. योजना का क्षेत्र

यह छात्रवृत्ति, आवासीय सरकारी संस्थानों तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित पात्र निजी संस्थानों सहित में कक्षा 1 से 10 तक भारत में अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी।

4. पात्रता

ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों, और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्निक आय 1 लाख रु. से अधिक न हो।

5. वितरण

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्तियों का वितरण, व-र्ा 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या, के आधार पर किया जाएगा।

6. छात्राओं के लिए निर्धारण

30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगी तो शे-ा निर्धारित छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

7. चयन

अल्पसंख्यकों को प्रतिव-र्ा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित और सीमित होने के कारण यह आवश्यक है कि चयन के लिए वरीयता का निर्धारण किया जाए। छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने के समय अंकों के बजाय निर्धनता स्तर को वरीयता दी जानी है। नवीकरण से संबंधित आवदेनों का निपटान, नए आवेदनों पर विचार किए जाने से पहले, कर दिया जाएगा।

8. अवधि

छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी। अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षिक व-र्ा में 10 माह की अवधि के लिए ही दिया जाएगा।

9. छात्रवृत्ति की दर

प्रवेश शुल्क/शिक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते के लिए निम्नानुसार, प्रत्येक संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा की शर्त पर, वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगीः-

क्र.सं.	मद	हॉस्टलवासी*	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क	वास्तविक या 500 रु. प्रतिव-र्ा	वास्तविक या 500 रु. प्रतिव-र्ा
2.	कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क	वास्तविक या 350 रु. प्रतिमाह	वास्तविक या 350 रु. प्रतिमाह
3.	एक शैक्षिक व-र्ा में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा		
	(i) कक्षा 1 से 5	शून्य	100 रू0 प्रतिमाह
	(ii) कक्षा 6 से 10	वास्तविक या 600 रू. प्रतिमाह	100 रु. प्रतिमाह

*हॉस्टलवासियों में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में या जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हों।

10 कार्यान्वयन अभिकरणें

यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

11 छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

(i) ये छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को उपलब्ध होगी, जो कक्षा 1 से 10 में अध्ययन कर रहे हैं। छात्रवृत्ति को जारी रखना पिछली अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने की शर्त पर होगा। अनुरक्षण भत्ता हॉस्टलवासी और दिवास्कॉलरों को प्रदान किया जाएगा।

(ii) छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाएगा यदि कोई छात्र वार्निक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, किन्तु उन अपरिहार्य कारणवश छात्रवृत्ति बंद नहीं की जाएगी, जिसके कारण को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उसकी अनुशंसा की गई हो।

(iii) ये छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक छात्रों को नहीं दी जाएगी।

(iv) छात्रों को उपस्थिति में नियमित होना चाहिए, जिसके लिए स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड का निर्धारण किया जाएगा।

(v) स्वरोजगार में लगे माता-पिता के लिए आय का प्रमाण-पत्र, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र के माध्यम से स्व-प्रमाणन आधार पर तथा रोजगार में लगे माता-पिता के लिए नियोक्ता से प्राप्त होना चाहिए।

(vi) स्कूल/संस्थान, स्थाई पते तथा माता-पिता के पते के आधार पर छात्र के बाहरी होने और संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में न रहने के दावे को प्रमाणित करेंगे।

(vii) एक स्कूल/संस्थान से दूसरे स्कूल/संस्थान में छात्र का आव्रजन, शैक्षिक वर्न्त के दौरान, अपवादजन्य परिस्थियों को छोड़कर छात्र के शैक्षिक कैरियर के हित में, प्रायः नहीं होगा।

(viii) यदि कोई छात्र अनुशासन का अथवा छात्रवृत्ति की कोई अन्य निबंधन व शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी सीधे इसको रद्द कर सकते हैं यदि वे योजना को शासित करने वाले विनियमों के उल्लंघन के कारणों से संतुन्ट हैं।

(ix) यदि कोई छात्र गलत विवरण द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और दी गई छात्रवृत्ति की ऱाशि को

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जाएगा।

(x) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों की जांच और स्वीकृति के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

(xi) पाठ्यक्रम शुल्क/शिक्षण शुल्क को स्कूल/संस्थान के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xii) अनुरक्षण भत्ते को छात्र के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xiii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक रिकार्ड रखेंगे और इसका मंत्रालय के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(xiv) इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) किसी छात्र को किसी एक योजना के तहत ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

(xvi) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, जो अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत लोगों के बच्चे और अन्य पिछड़ा वर्ग से भी संबंधित हो सकते हैं, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न करें और केवल एक ही स्रोत से इसे प्राप्त करें तथा ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों की एक समिति का गठन करेंगे।

(xvii) बाद के व-र्ाों में छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु धन राशि तभी जारी की जाएगी जब पिछले व-र्ा जारी की गई धन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए।

(xviii) इस योजना का मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन अध्ययन की लागत, योजना के प्रावधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

(xix) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगतपूर्ण ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर रखेंगे।

(xx) इन विनियमों को भारत सरकार के विवेकाधिकार से किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

12. प्रशासनिक व्यय

यह स्कीम व-र्-दर-व-र् कार्यान्वित रहनी है, इसलिए कम्प्यूटर में प्रवि-ट किए जाने वाले और कार्य में लाए जाने वाले आंकड़ों की मात्रा की अधिकता के कारण शुरू से ही कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को लगाना, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि आंकड़ा-आधारित कम्प्यूटर प्रणाली क्रियाशील रहें। इस उद्देश्य से डिजाइन किए गए कम्प्यूटर प्रोग्राम अर्थात् आंकड़ें प्रवि-टी, संसाधन, विश्ले-ाण, प्रबोधन, निगरानी, पुनःविचारण और अंतरण आदि कार्य में दक्षता प्राप्त, कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को आवश्यकतानुसार अनुबंध आधार पर भी कार्य पर रखा जा सकता है (कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा) राज्यों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त आंकड़ों का रख-रखाव मंत्रालय में समकक्ष विशे-ाज्ञता प्राप्त कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा, जिन्हें अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

प्रशासनिक और सम्बद्ध लागतों अर्थात् राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और मंत्रालय द्वारा कार्यालय उपकरणों, कम्प्यूटर और सहायक-सामग्रियों, फर्नीचर, आवेदन-प्रपत्र के मुद्रण, विज्ञापनों, कार्मिकों की तैनाती, आदि के केन्द्रीय हिस्से का 1% का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रावधान का उपयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लगाए गए बाहर के प्रति-ठित संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन और निगरानी कार्य के लिए भी किया जाएगा।

13. छात्रवृत्ति का नवीकरण

किसी पाठ्यक्रम के लिए एक बार छात्रवृत्ति प्रदान कर दिए जाने के बाद आगामी शैक्षणिक व-र् के लिए उसका नवीकरण किया जा सकेगा, बशर्तें कि विद्यार्थी परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ।

14. योजना की घो-ाणा

सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कीम की घो-ाणा अग्रणीय भा-ा समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिकों में विज्ञापन देकर और प्रचार के अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा, यथासमय की जाएगी।

15. आवेदन-प्रक्रिया

कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को कार्यरत कर दिए जाने तक सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवेदन-प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। भरे हुए आवेदन-प्रपत्र अपेक्षित प्रमाणपत्रों के साथ नियत समय में पुनः वापिस लिए जाने चाहिए।

16. वित्तीय सहायता का प्रतिमान

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्त प्रबंधन 75:25 के अनुपात में होगा। संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

17. निगरानी और पारदर्शिता

योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य स्तर पर योजना के वित्तीय और वास्तविक कार्य-नि-पादन की निगरानी करेंगे। इस प्रयोजन के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र की व्यवस्था होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों के व-र्गवार ब्यौरे रखे जाएंगे, जिसमें स्कूल/संस्थान, स्कूल/संस्थान की स्थान स्थिति, स्कूल सरकारी है या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीकरण, स्थायी पता और माता-पिता के पते का उल्लेख होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संगतपूर्ण वास्तविक एवं वित्तीय ब्यौरों को स्थान देना होगा।

18. मूल्यांकन

योजना की वित्तीय और भौतिक कार्य-नि-पादन की निगरानी का मूल्यांकन कार्य, उन ख्यातिप्राप्त संस्थानों/एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन के लिए नियत किया गया हो।

****

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' की योजना

आवेदन–पत्र का प्रारूप

केवल शासकीय प्रयोग के लिए

आवेदन की क्र.सं.	वर्ष	पाठ्यक्रम	क्या अनुमोदित है

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
का फोटो
चिपकाएं

भाग–I (आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)

उपनाम																			
प्रथम नाम																			
बीच का नाम																			

2. पिता का नाम:

3. माता का नाम:

4. मूलनिवास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :

5. पत्राचार के लिए पता:

नाम																			
मकान सं.																			
मौहल्ला/गली																			
नगर/कस्बा/ग्राम एंव डाकघर																			
जिला																			
राज्य																			
पिन कोड																			
दूरभाष सं., मोबाइल सं., यदि कोई हो																			
ई–मेल आईडी, यदि कोई हो																			

6. माता–पिता का पता:

नाम																			
मकान सं.																			
मौहल्ला / गली																			
नगर / कस्बा / ग्राम एंव डाकघर																			
जिला																			
राज्य																			
पिन कोड																			
दूरभाष सं., मोबाइल सं., यदि कोई हो																			
ई–मेल आईडी, यदि कोई हो																			

7. स्थाई पता :

नाम																			
मकान सं.																			
मौहल्ला / गली																			
नगर / कस्बा / ग्राम एंव डाकघर																			
जिला																			
राज्य																			
पिन कोड																			
दूरभाष सं., मोबाइल सं., यदि कोई हो																			
ई–मेल आईडी, यदि कोई हो																			

8. जन्म तिथि (कृपया प्रमाणपत्र संलग्न करें) :

दिन			मास			वर्ष			

9. पुरूष या महिला :

10. राष्ट्रीयता :

11. धर्म :

12. शैक्षिक योग्यताओं का ब्यौरा :

(कृपया राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा का स्कूल/बोर्ड/संस्थान/परिषद	मुख्य विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंकों की प्रतिशतता	श्रेणी/क्लास/ग्रेड

13. पाठ्यक्रम के ब्यौरे, जिसके लिए छात्रवृत्ति का आवेदन किया गया है :

(i) कक्षा का नाम :
(ii) कक्षा की अवधि :
(iii) शैक्षणिक वर्ष :
(iv) अंतिम बार शामिल कक्षा/शैक्षिक वर्ष :
(v) अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंक और प्रतिशतता :
(कक्षा–I के छात्र के मामले में, केवल आय का मानदंड ही लागू होगा)

14. स्कूल/संस्थान (आवासीय सहित) के ब्यौरे :

(i) उस स्कूल/संस्थान का नाम, जहां प्रवेश लिया है :
(ii) स्कूल/संस्थान का पता :

15. छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए :

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्त अंक	पूरे अंक	अंकों का प्रतिशत

16. कुल वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क : ....रूपये
(पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण जैसे कि प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि, वापस की जाने वाली जमाराशि को छोड़कर)

क्र.सं.	मद	वार्षिक फीस
1		
2		
3		
4		
5		
6		
कुल		

17. छात्र के बैंक खाते का विवरण :

(इन ब्यौरों की आवश्यकता, छात्रवृत्ति की मंजूरी के बाद तथा उसकी राशि के वितरण से पहले होगी)

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसाकि बैंक खाते में है) :

(ii) बैंक का नाम :

(iii) बैंक शाखा (पूरा पता)..............राज्य..................जिला...............पिन................

(iv) शाखा कोड सं. : ....

(v) विगत वर्ष की छात्रवृत्तियों के अनुसार रसीद जो स्कूल/संस्थान प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(vi) बैंक खाता सं. :...............................(शब्दों में...)

(vii) बैंक खाते की प्रकृति........................ बचत/चालू

(viii) बैंक का एमआई सीआर कोड.......................................

(ix) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक अंतरण का तरीका.. ईसीए/आरटीजीएस/एनईएफटी/सीबीएस/कोड सं. (यदि कोई हो)

18. छात्र के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय: ___________________रूपये

(वार्षिक आय के घोषणा पत्र का नमूना फार्म अनुबंध में दिया गया है, जिसे छात्र के माता–पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। यदि माता–पिता/अभिभावक रोजगार में हैं तो नियोक्ता से आय का प्रमाणपत्र भी संलग्न करें)

19. आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज :

(i) पासपोर्ट आकार का स्वः प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित फोटोग्राफ।

(ii) उपर्युक्त पैरा 12 में यथा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां।

(iii) आय की घोषणा – स्वःरोजगार में लगे माता–पिता/अभिभावक द्वारा गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र के रूप में या रोजगार में लगे माता पिता/अभिभावक द्वारा नियोक्ता से प्राप्त आय प्रमाणपत्र के रूप में।

(iv) स्थाई निवास का प्रमाण।

(v) पिछले वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की रसीद, जो स्कूल/संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(vi) अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणापत्र – गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र कि छात्र/छात्रा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक समुदाय का है।

20. घोषणा :

(i) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है।

(ii) मैं इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।

(iii) मैं मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए निबंधन व शर्तों का पालन करूंगा।

(iv) मैं यह वचन देता हूँ कि यदि किसी चरण पर यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी है या मैं दुराचरण का दोषी पाया जाता हूँ अथवा मैं छात्रवृत्ति की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करता हूँ, तो कानून सममत दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त मुझे मंजूर की गई छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकेगा और मेरे द्वारा छात्रवृत्ति की पूरी राशि वापस की जाएगी अथवा मुझसे वसूल की जाएगी।

दिनांक :
स्थान :

छात्र के हस्ताक्षर

(कक्षा–I से V तक के छात्रों के लिए, छात्र के माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

भाग–II (स्कूल/संस्थान के प्रमुख द्वारा भरा जाए)

21. **संस्थान/संस्थान (आवासीय सहित) का ब्यौराः**

(i) उस स्कूल/संस्थान का नाम जहां प्रवेश लिया है :
(ii) स्कूल/संस्थान का पता :
(iii) दूरभाष संख्या:
(iv) फैक्स सं. :
(v) ई–मेल का पताः
(vi) यदि निजी संस्थान है तो क्या स्कूल/संस्थान मान्यताप्राप्त है? यदि हाँ, तो मान्यता प्रदान करने वाले प्राधिकरण का नाम :

22. **स्कूल/संस्थान प्रमुख द्वारा की जाने वाली जांच/दी जाने वाली सूचना :**

(i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री..., जो ....स्कूल/संस्थान में शैक्षिक वर्ष............................के लिए............................ .... पाठ्यक्रम में दाखिल है, द्वारा उपरोक्त कालमों में भरी गई सूचना सही है।

(ii) छात्र/छात्रा, स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में रहता/रहती है या दिवास्कालर है।

या

छात्र/छात्रा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संचालित छात्रावास में रहता/रहती है।

(iii) छात्र/छात्रा का स्कूल/संस्थान में शैक्षिक वर्ष.................................के लिए नया प्रवेश हुआ है।

या

छात्र/छात्रा को शैक्षिक वर्ष ....में...................से ....के लिए प्रोन्नति मिली है।

23. **स्कूल/संस्थान/नियंत्रण कार्यालय के बैंक खाते का ब्यौरा (पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराने के लिए):**

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसाकि बैंक खाते में है) : ....
(ii) बैंक का नाम : ....
(iii) बैंक शाखा (पूरा पता)...............राज्य..................जिला................पिन....................
(iv) बैंक शाखा कोड सं. : ....
(v) बैंक खाता सं. :.................................(शब्दों में...)
(vi) बैंक खाते की प्रकृति........................ बचत/चालू
(vii) बैंक का एमआई सीआर कोड...
(viii) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक अंतरण का तरीका... ईसीए/आरटीजीएस/एनईएफटी/सीबीएस/कोड सं. (यदि कोई हो) –........................... ....

24. छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्र/छात्रा ने वर्ष ....के लिए ....
..............परीक्षा पास की है और ....% अंक प्राप्त किए हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ने अध्ययन के पाठ्यक्रम/या अध्ययन के स्कूल/संस्थान को नहीं बदला है जिसके लिए वास्तव में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी/राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अध्ययन के पाठ्यक्रम और/या स्कूल/संस्थान को बदल लिया है (जो लागू न हो उसे काट दें)

स्कूल/संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर
मोहर सहित

दिनांक :
स्थान :

माता–पिता/अभिभावक के आय का घोषणा पत्र
(नमूना)

मै...जो..(छात्र का नाम) का (पिता/माता/अभिभावक) हूँ, और जो..में पढ़ रहा है, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी सभी स्रोतों से वार्षिक आय ....रूपये (शब्दों में) ....है।

मैं वचन देता हूँ कि यदि किसी चरण पर यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/असत्य है, तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत छात्र को दिए गए सभी लाभ वापस लिए जा सकते है और मेरे या मेरे बच्चे के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर

दिनांक :

(पिता/माता/अभिभावक)
आवासीय पता

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' की योजना

सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्रपत्र

(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं)

1. वर्ष :

2 उन छात्रों की कुल संख्या, जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों की धर्मवार संख्या :

धार्मिक समुदाय	वर्ष के लिए छात्रवृत्ति की संख्या	उन छात्रों की संख्या, जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया (सरकारी स्कूल/संस्थान से)		उन छात्रों की संख्या, जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया (निजी स्कूल/संस्थान से)		छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों की संख्या (सरकारी स्कूल/संस्थान से)		छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों की संख्या (निजी स्कूल/संस्थान से)		छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए चयन किए गए छात्रों की कुल सं.		
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	कुल
मुस्लिम												
ईसाई												
सिक्ख												
बौद्ध												
पारसी												
कुल												

3. छात्रवृत्ति संवितरण के लिए निधियों की आवश्यकता :

स्कूल/संस्थान का वर्ग	चयनित छात्रों की सं.			पाठ्यक्रम शुल्क			अनुरक्षण भत्ता												छात्रवृत्ति की कुल राशि		
							हॉस्टलवासी						दिवा स्कॉलर								
							सं.			राशि			सं.			राशि					
	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल
सरकारी स्कूल/संस्थान																					
निजी स्कूल/संस्थान																					
कुल योग																					

4. प्रशासकीय खर्चों के लिए निधि की आवश्यकता :
(कृपया ब्यौरे संलग्न करें)

5. पिछले सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें:

6. निर्धारित प्रपत्र में स्कूल/संस्थान के ब्यौरे के साथ छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अनुशंसित किए गए प्रत्येक छात्र के ब्यौरें संलग्न करें:

7. संलग्न जांच सूची के अनुसार सूचना दी गई है।

दिनांक : प्रभारी अधिकारी
स्थान : छात्रवृत्ति कक्ष

दिनांक : सचिव,
स्थान : अल्पसंख्यक कल्याण/कार्य विभाग
....सरकार/प्रशासन

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(जीएफआर 19–ए)

क्र. सं.	पत्र सं.	राशि
	कुल	

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष.................के दौरान इस मंत्रालय/विभाग के पत्र सं. जो मार्जिन में दिए गए है, के अंतर्गत... के पक्ष में स्वीकृत किए गए......................रूपए के सहायता अनुदान में से ....रूपए, जो पिछले वर्ष का खर्च न किया गया शेष है, ...रूपए का उपयोग...के प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और वर्ष के अन्त में ....रूपए, जो अप्रयुक्त रहे है, वे सरकार को वापस कर दिए गए है(सं...........दिनांक.................... के द्वारा)/इसे आगामी वर्ष ....के दौरान देय सहायता अनुदान में समायोजित किया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वंय को संतुष्ट किया है कि वे शर्तें, जिन पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, का पालन किया गया है/पूरी की जा रही है और यह देखने के लिए कि धनराशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, मैंने निम्नलिखित जांचे की हैं।

की गई जांच का प्रकार

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर..
पदनाम ....
दिनांक ....

छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सिफारिश किए गए छात्रों के ब्यौरे देने का प्रपत्र

वर्गवार और संस्थान वार छात्रों के ब्यौरे (स्कूल/संस्थान)

(कृपया सरकारी तथा निजी स्कूल/संस्थान के लिए अलग सूची संलग्न करें)

क्र. सं.	कक्षा	क्र. सं.	छात्र का नाम	पुत्र/पुत्री श्री	छात्र/ छात्रा	धर्म	पिछली अंतिम परीक्षा में अंकों की प्रतिशतता	माता-पिता/ अभिभावक की वर्निक आय	स्कूल/संस्थान का नाम और पता जहां इस समय अध्ययन कर रहा है	सरकारी (स)/ निजी (नि)	कक्षा/ पाठ्यक्रम जिसमें अध्ययनरत हैं	क्या		छात्रवृत्ति की राशि (रुपए में)			
												नया	नवीकरण	प्रवेश शुल्क	शिक्षण शुल्क	अनुरक्षण भत्ता हॉ/दि	कुल
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**	**ix**	**x**	**xi**	**xii**	**xiii**	**xiv**	**xv**	**xvi**	**xvii**	**xviii**
1	I	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
2	II																
		1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
3	III	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															

	उप योग																
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv	xvi	xvii	xviii
4	IV	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
5	V	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
6	VI	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
7	VII	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
8	VIII	1															
		2															
		3															
		.															

		.															
		.															
	उप योग																
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**	**ix**	**x**	**xi**	**xii**	**xiii**	**xiv**	**xv**	**xvi**	**xvii**	**xviii**
9	IX	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
10	X	1															
		2															
		3															
		.															
		.															
		.															
	उप योग																
	कुल योग																

नोट : कॉलम (ix) में प्रविन्टियां आरोही क्रम में करनी है जिसमें न्यूनतम वार्निक आय ऊपर से आरंभ करनी है ।

धर्म के लिए : मुस्लिम के लिए मु., ईसाई के लिए ई., सिख के लिए सि., बौद्ध के लिए बौ. और पारसी के लिए पा. प्रवि-ट करें ।

हॉ-हॉस्टल, दि.-दिवा-स्कालर

जांच सूची

क्र. सं.	मद
1.	प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना।
2.	निम्नलिखित की जांच करना/ प्रमाणित करना।
	(क) इस छात्रवृत्ति योजना के लिए एक अलग खाता बनाया गया है।
	(ख) अधिसूचित अल्पंसख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध अथवा पारसी से सम्बद्ध होने के दावे की जांच की गई है और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस दावे से संतु-ट है।
	(ग) स्कूल/संस्थान जहां छात्र अध्ययन कर रहे हैं, वे सरकारी हैं अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
	(घ) छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रस्तावित छात्रों ने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों जिनकी न्यूनतम आय है, को आरोही क्रम में प्राथमिकता दी गई है।
	(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्र चूंकि अन्य पिछड़े वर्ग, अनु.जाति अथवा अनु.जनजाति वर्ग से भी संबद्ध हो सकते हैं, यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई छात्र एक छात्रवृत्ति से अधिक प्राप्त न करें।
	(च) छात्रों के माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्निक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
	(छ) पात्र छात्राओं को, उनके लिए निर्धारित 30% छात्रवृत्तियों में समायोजित किया गया है, और जहां शे-न छात्रवृत्तियों को छात्रों को अंतरित किया गया है, वहां इसे छात्राओं की सूची पूरी करने के बाद ही ऐसा किया गया है।
	(ज) जो छात्र, स्कूल/संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं उनकी प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे की जांच की गई है और उसे योजना के अनुसार तैयार किया गया है।
	(झ) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का बैंक खाता है।
	(ञ) प्रस्ताव में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उप-आबंटन रखा गया है।